

भारत सरकार  
परमाणु ऊर्जा विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-1638  
उत्तर दिनांक 10/12/2025 को दिया गया

**परमाणु ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन क्षमता**

1638. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

- (क) क्या दशकों के निवेश के बावजूद, परमाणु ऊर्जा देश के कुल बिजली उत्पादन में केवल 1.6 प्रतिशत का योगदान देती है, जो इसकी घोषित क्षमता से बहुत कम है;
- (ख) यदि हाँ, तो परमाणु क्षमता के धीमे विस्तार के क्या कारण हैं, जबकि वर्तमान क्षमता केवल 7.5 गीगावाट है और 2031-32 तक 22.48 गीगावाट प्राप्त करने के लक्ष्य की तुलना में 2024 तक मामूली रूप से बढ़कर 8.18 गीगावाट होने की उम्मीद है; और
- (ग) यह देखते हुए कि 100 प्रतिशत एफडीआई केवल परमाणु उपकरण निर्माण में ही अनुमत है, क्या सरकार का रिएक्टर संचालन में अधिक निजी और विदेशी भागीदारी की अनुमति देने हेतु परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में संशोधन करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

- (क) भारत में नाभिकीय विद्युत ऊर्जा उत्पादन की वृद्धि, देश में कुल विद्युत उत्पादन की वृद्धि के अनुरूप रही है, और लगातार लगभग 3% के स्तर पर बनी हुई है। वर्ष 2024-25 में देश के कुल विद्युत उत्पादन में नाभिकीय का हिस्सा लगभग 3.1% था।
- (ख) नाभिकीय विद्युत क्षमता के शुरुआती दिनों में धीमी वृद्धि का मुख्य कारण प्रौद्योगिकी विकास का वह चरण था जिसे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और प्रौद्योगिकी निषेध परिवेश में सीमित संसाधनों के साथ पूरा करना पड़ा। इसलिए, हालांकि भारत विश्व में छठा सबसे बड़ा नाभिकीय रिएक्टर बेड़ा प्रचालित करता है, नाभिकीय विद्युत की वर्तमान स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट (आरएपीएस-1, 100 मेगावाट को छोड़कर) है। अब स्वदेशी पीएचडब्ल्यूआर तकनीक बड़े आकार के रिएक्टर यानी 700 मेगावाट के लिए परिपक्व हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ स्वदेशी 700 मेगावाट रिएक्टरों और 1000 मेगावाट रिएक्टरों की स्थापना के साथ ही वर्तमान क्षमता, विभिन्न चरणों में क्रियान्वयनाधीन परियोजनाओं के क्रमिक रूप से पूर्ण होने पर वर्ष 2031-32 तक 22.38 गीगावाट (आरएपीएस-1, 100 मेगावाट को छोड़कर) तक बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त, सरकार ने

नाभिकीय ऊर्जा मिशन की भी घोषणा की है जिसका लक्ष्य वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट विद्युत क्षमता प्राप्त करना है।

- (ग) हां। वर्तमान नीति के अनुसार, परमाणु ऊर्जा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति नहीं है। सरकार परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति प्रदान करने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में संशोधन करने का प्रस्ताव कर रही है।

\*\*\*\*\*